रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052025-263137
CG-DL-E-16052025-263137

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 15, 2025/वैशाख 25, 1947
No. 269] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 15, 2025/VAISAKHA 25, 1947

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2025

सा.का.नि. 312(अ).-- केन्द्रीय सरकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ठक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. स्थायी लोक अदालत (अध्यक्ष और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2003 में,

(i) नियम 3 में,-

(क) उपनियम (3) में, "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे:

(ख) उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(5) अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति, स्थायी लोक अदालत की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजन के लिए, शहरों के वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार वाहन भत्ते के हकदार होंगे:

क्र.सं.	**शहरों का वर्गीकरण**	**जनसंख्या मानदंड**	**प्रति बैठक दर**
1.	एक्स	50 लाख और उससे अधिक	1,000/- रु.
2.	वाई	5 लाख से 50 लाख	750/- रु.
3.	जेड	5 लाख से कम	500/- रु.

उपर्युक्त वाहन भत्ता आठ हजार रुपये प्रति माह की सीमा के अधीन है।"

(ii) नियम 7 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(3) स्थायी लोक अदालत की बैठक, जब कभी आवश्यक हो, अध्यक्ष द्वारा बुलाई जाएगी और एक सौ तक लंबित मामलों वाली स्थायी लोक अदालत सप्ताह में कम से कम एक बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी तथा एक सौ से अधिक लंबित मामलों वाली स्थायी लोक अदालत सप्ताह में कम से कम दो बार बैठक करेगी और प्रति बैठक कम से कम पांच मामले सूचीबद्ध करेगी।"

[फा. सं. ए-60011/19/2019-एलएपी(न्याय)]

नीरज कुमार गयागी,संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र में, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 3(अ), तारीख 2 जनवरी, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 373(अ), तारीख 13 मई, 2008, सा.का.नि. 618(अ), तारीख 22 जून, 2016 और सा.का.नि. 787(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2020 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department Of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2025

G.S.R. 312(E).— In exercise of the powers conferred by clause (la) of sub-section (2) of section 27 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Government in consultation with the Chief Justice of India, hereby makes the following rules further to amend the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003,

(i) in rule 3, —

(a) in sub-rule (3), for the words "two thousand rupees", the words "two thousand and five hundred rupees" shall be substituted;

(b) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(5) For the purpose of attending the sittings of Permanent Lok Adalat, the Chairman and other person shall be entitled to conveyance allowance based on the classification of cities as under:

S.No.	Classification of Cities	Population criteria	Rate per sitting
1.	X	50 lakhs and above	Rs. 1,000/-
2.	Y	5 lakhs to 50 lakhs	Rs. 750/-
3.	Z	Below 5 lakhs	Rs. 500/-

The above conveyance allowance is subject to a ceiling of eight thousand rupees per month.";

(ii) in rule 7, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(3) The sitting of the Permanent Lok Adalat, as and when necessary, shall be convened by the Chairman and a Permanent Lok Adalat having a pendency of upto one hundred cases shall sit at least once a week and list at least five matters per sitting and a Permanent Lok Adalat having pendency of more than one hundred cases shall sit at least twice a week and list at least five matters per sitting".

[F. No. A-60011/19/2019-LAP(JUS)]

NIRAJ KUMAR GAYAGI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India *vide* notification number G.S.R. 3(E), dated the 2nd January, 2003 and subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 373(E), dated the 13th May, 2008, G.S.R. 618(E), dated the 22nd June, 2016 and G.S.R. 787(E), dated the 22nd December, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.05.16 11:23:22 +05'30'